SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I too associate with the mention made by the hon. Member.

कुमारी शैलजा (हरियाणा): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री मोतीलाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate with the mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All those who associate, their names will be added. ...(*Interruptions*)... Shri D. Raja, you start. ...(*Interruptions*)... Mr. Ali Anwar Ansari, you can give a notice tomorrow. ...(*Interruptions*)... Now, D. Raja, please. ...(*Interruptions*)... Yes, start. ...(*Interruptions*)...

Proposal to privatise Kamarajar Port Ltd. in Tamil Nadu

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I draw the attention of the entire House to a very important matter. The NITI Aayog and the Committee of Secretaries on Disinvestment has recommended outright sale of 100 per cent Government holding in Kamarajar Port in Chennai and to privatise the entire port. I think, this action of the Government is not only anti-people, it is anti-national and unpatriotic. I oppose this action of the Government. I ask the Government to reconsider its decision. Sir, Kamarajar Port is the first corporatised major port in the country. It has been formed with the shares of Government of India and the Chennai Port Trust in Chennai. This Port has been handling Tamil Nadu Electricity Board coal, petroleum products, lube oils, LPG and automobiles.

Now, the Government has decided for outright sale of this Kamarajar Port. It has been named after great Kamarajar and the Kamarajar Port has recorded profits every consecutive year. It has won excellent grade from the Department of Public Enterprises. It has been making profit. It is a profit-making major corporatised public

[Shri D. Raja]
sector Port. From 2012 to 2016, the Port has been making profits and it has been paying dividends to the Government. The Central Government is getting dividends. But why is it being done? There are apprehensions in Tamil Nadu. It is being done in order to help a business house which is very close to the ruling dispensation now. I do not want to take that name. ...(*Interruptions*)... I can take that name. As this Port also has 3,000 acres of land around it, it can pave way for real estate business. Kamarajar Port is the pride not only of Tamil Nadu but also for the entire country, it is a major public sector Port and a profit-making Port. Why are you selling Government equity in that Port? Why do you privatize that port?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. ...(*Time bell rings*)...

SHRI D. RAJA: So, reconsider your decision; otherwise, this Government will have to face the wrath of the people, employees and workers. ...(*Interruptions*)... This is anti-national and unpatriotic.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI A. V. SWAMY (Odisha): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, time over. ...(*Time bell rings*)... Now, Shrimati Rajani Patil. ...(*Interruptions*)... Yes, all names will be added. ...(*Interruptions*)... Please start.

Need to amend the relevant law to help minor rape victims

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, हाल ही में, शुक्रवार के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार से पीड़ित 10 साल की एक नाबालिग लड़की, जो 32 सप्ताह की गर्भवती थी, उसके गर्भपात की मनाही का हुक्म जारी किया। वह निराश लड़की, जिसकी उम्र अभी भी गुड़िया के साथ खेलने की है, उसे यह भी पता नहीं है कि अब कुछ ही दिनों में वह मां बनने जा रही है। घर के ही किसी व्यक्ति ने खेलती हुई लड़की के साथ बलात्कार किया और जब उसको पता चला कि वह गर्भवती हो गई है, तब तक अपने देश के MTP Act के अनुसार 20 हफ्ते निकल चुके थे और इतनी लेट MTP करने के लिए मेडिकल बोर्ड की बिल्कुल सलाह नहीं थी।

सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की Rights of Children, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दुस्तान में जो रेप होते हैं, उनमें तीन में से एक रेप नाबालिग बच्ची के साथ होता है। The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, जो 1971 में बना है, उसके अनुसार 20 सप्ताह के अंदर एबॉर्शन हो सकता है। अगर माता या गर्भ को कोई शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचने की स्थिति होती है, तभी उसको परमिशन दी जाती है। सर, आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। माता के गर्भ के बारे में डॉक्टर पहले ही समझ लेते हैं कि गर्भ में कोई शारीरिक कमी है या नहीं। आज down syndrome के बारे में बच्चों की स्थिति जानना संभव हुआ है, लेकिन ये सब जानने के लिए ultrasound examination करना पड़ता है, जो 18 से 22 हफ्ते में करना जरूरी होता है, क्योंकि तब तक गर्भ substantially develop होता है और anomalies दिखने के काबिल रहते हैं। लेकिन, अपने देश में आज भी हम midwives के ऊपर निर्भर रहते हैं और जब तक कोई आशंका पैदा नहीं होती, जब तक कोई doubt नहीं होता, तब तक हम sonography नहीं करते हैं और फिर कानून के अनुसार MTP करना संभव नहीं होता है।

सर, वर्ष 2014 में सरकार ने The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill introduce किया है, जिसमें एबॉर्शन की लिमिट को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक करने का प्रावधान है। उसमें यह कहा गया है कि "Substantial foetal abnormalities" — in which case the time period of pregnancy is irrelevant — and widened the scope of who could carry out the abortions by introducing the term "registered health care provider" by registered medical practioners. दुर्भाग्य से, यह The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2014 अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। यह सुना जा रहा है कि Prime Minister's Office ने भी इस प्रस्तावित बिल को वापस कर दिया है और उसके साथ यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 को ज्यादा से ज्यादा सख्ती से लागू किया जाए। सर, हालांकि WHO का अनुमान है कि एबॉर्शन कानून की सख्ती से गुनाह कम नहीं हुआ है, बर्थ रेट कम नहीं हुआ है।

सर, मैं आपके द्वारा सरकार से इस 10 साल की बलात्कार पीड़ित लड़की के लिए दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2014 आपके पास अमेंडमेंट के लिए आया है, उसको अमेंड किया जाए, इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी।